64

सँ0 565 / XXIV(1) /2014–05 / 2013 T.C.

प्रेषक,

आर0के0 तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 30 जून, 2014

विषयः– राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु प्रबन्धन मद में बजट स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा0सा0मि0प्रा0 / 397–401 / सा0भा0–बजट / 2014–15 दिनांक 06–05–2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष में राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के राज्यांश में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 6.00 करोड़ में से रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 318 / XXVII(1)/2013 दिनांक 18–03–2014 में वर्णित शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

...2 / ..

02– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 01–केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र पुरोनिधानित योजजाएँ–0101–राष्ट्रीय साक्षरता कार्यकम, 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

03– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सँ0 318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18–03–2014 में वर्णित शर्तों/निहित व्यवस्थाओं के तहत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

सँ0 /XXIV(1) /2014–5/2013 T.C. /तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
04. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, ननूरखेड़ा देहरादून
05. राज्य परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, ननूरखेड़ा, देहरादून।
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।